

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
434 / 2024

दायर दिनांक
09.07.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
12.09.2024

1. रामेश्वर पुत्र भोला जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा

-प्रार्थी

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. कन्हैयालाल पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. अम्बालाल पुत्र मांगु जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. पन्नालाल पुत्र गणेश जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. सत्यनारायण पुत्र कल्याण जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. लेहरू पुत्र कल्याण जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. धर्मराज पुत्र रामलाल जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. जमना पुत्र भारमल जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
9. फुलशंकर पुत्र गोपी जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
10. मनीष पुत्र चन्द्रसिंह निवासी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
11. मथुरा उर्फ मथरा पुत्र सुखदेव जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
12. चांदी पत्नी नन्दराम जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
13. अनिल पुत्र बालुराम जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
14. गोपाल पुत्र छीतर जाट निवासी जूनावास तहसील व जिला भीलवाड़ा
15. सम्पत उर्फ श्रीपत पुत्र पेमा जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
16. सत्यनारायण पुत्र श्री कल्याण जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
17. अम्बालाल पुत्र मांगीलाल जाट निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
18. मुन्नी बाई पत्नी श्यामलाल बलाई निवासी हरणीखुर्द तहसील व जिला भीलवाड़ा
19. रणवीर पुत्र बंशीलाल खटीक निवासी तिलक नगर भीलवाड़ा
20. चांदु पुत्र घीसा नायक निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा
21. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा व जिला भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी लादु लाल जाट
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 20 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दान्थल प0ह0 दान्थल भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2069-2073 के खाता संख्या 725 की अभिलिखित आराजियात 2064, 2065, 2127, 2143, 2142, 2030, 2031, 2050 कुल किता 05 कुल रकबा 3.8947 हैक्टेयर व खाता संख्या 724 की

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आराजियात 2141/1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1265 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 20 उपस्थित नही। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा दान्थल प०ह० दान्थल भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2069-2073 के खाता संख्या 725 की अभिलिखित आराजियात 2064, 2065, 2127, 2143, 2142, 2030, 2031, 2050 कुल किता 05 कुल रकबा 3.8947 हैक्टेयर व खाता संख्या 724 की आराजियात 2141/1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1265 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हाद निरुधि सामन्थ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा